न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2006/00093
मिसलनम्बर–92 / 2006

1.सूरजमल मृतक जरिये कायम मुकामान–
1 / 1. शम्भूदयाल पुत्र स्व0 सूरजमल
1 / 2. कन्हैयालाल पुत्र स्व0 सूरजमल
1 / 3. दीनबंधु पुत्र स्व0 सूरजमल
1 / 4. जमनाशंकर पुत्र स्व0 सूरजमल जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम दसलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा
1 / 5. हेमलता पुत्री स्व0 सूरजमल जाति धाकड़ निवासी हरीपुरा तह0 सांगोद जिला कोटा
2.केसरीलाल मृतक जरिये कायम मुकामान–
2 / 1. नटी बाई बेवा स्व0 केसरीलाल
2 / 2. रामस्वरूप पुत्र स्व0 केसरीलाल
2 / 3. हेमराज पुत्र स्व0 केसरीलाल
2 / 4. राजेन्द्र पुत्र स्व0 केसरीलाल
2 / 5. देवीशंकर पुत्र स्व0 केसरीलाल
2 / 6. ओम पुत्र स्व0 केसरीलाल जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम दसलाना तहसील लाडपुरा कोटा
3.कैलाश बाई पुत्री श्री शिवनारायण पत्नि बजरंगलाल जाति धाकड़ निवासी पिसाहेड़ा तह0 सांगोद जिला कोटा
4.कस्तूरी बाई विधवा पत्नि गोपाल जी धाकड़ निवासनी ग्राम दसलाना तह0 लाडपूरा कोटा
5.रामकैलाश पुत्र श्री गोपाल जी जाति धाकड़ निवासी दसलाना तह0 लाडपुरा जिला कोटा
6.पुतली बाई उर्फ पार्वती बाई पुत्री गोपाल जी धर्मपत्नि श्री रामचरण जी जाति धाकड़ निवासी कैथूदा नायब तह0 तालेड़ा जिला बून्दी
7.कान्ती बाई विधवा दुर्गाशंकर जाति धाकड़ निवासी दसलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा
8.फूलचंद पुत्र दुर्गाशंकर जाति धाकड़ नि0 दसलाना तह0 लाडपुरा
9.भैरूलाल पुत्र दुर्गाशंकर जाति धाकड़ निवासी दसलाना तह0 लाडपुरा कोटा
10.चम्पा बाई पुत्री दुर्गाशंकर पत्नि बृजमोहन जाति धाकड़ निवासी ग्राम रातडिया तह0 अंता जिला बारां

–प्रार्थीगण

बनाम

1.गेन्दीलाल मृतक जरिये कायम मुकामान–
1 / 1. जानकी बाई बेवा स्व0 गेन्दीलाल

उपखण्ड अधिकारी
को ा

उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा

1/2. रघुवीर पुत्र स्व0 गेन्दीलाल
1/3. महावीर पुत्र स्व0 गेन्दीलाल
1/4. भागीरथ पुत्र स्व0 गेन्दीलाल जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम दसलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा
1/5. बसन्ती बाई पुत्री स्व0 श्री गेन्दीलाल पत्नि श्री रामस्वरूप जी मालव निवासनी ग्राम खेड़ा रसूलपुर तह0 लाडपुरा कोटा
1/6. बनास बाई पुत्री स्व0 गेन्दीलाल पत्नि श्री महावीर जी नि0 ग्राम टाकरवाडा तह0 दीगोद जिला कोटा
1/7. प्रेम बाई पुत्री स्व0 गेन्दीलाल पत्नि श्री दिनेश जी मालव निवासनी ग्राम रातडिया तह0 अन्ता जिला बारां
2. दीनदयाल पुत्र श्री गोपाल जी जाति धाकड़ निवासी ग्राम दसलाना तह0 लाडपुरा जिला कोटा
3. बृजराज पुत्र श्री गोपाल जाति धाकड़ नि0 दसलाना तह0 लाडपुरा जिला कोटा
4. हरीशंकर पुत्र दुर्गाशंकर जाति धाकड़ नि0 दसलाना तह0 लाडपुरा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाड़पुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज

—अप्रार्थीगण

—:निर्णयः—

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा।)

दिनांक 23/2/2026

उपस्थितिः—

1.श्री विघाशंकर गोस्वामी अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2.श्री शम्भूदयाल विजय अधिवक्ता अप्रार्थी नं0 1

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना—पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बोरखण्डी में 3. 94 हैक्टर तथा ग्राम दसलाना में 6.11 हैक्टयर कृषि भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें गोपाल जी के वारिसों का 1/6, सूरजमल जी का 1/6, केसरीलाल जी का 1/6, गेंदीलाल जी का 1/6, दुर्गाशंकर के वारिसों का 1/6 तथा कैलाश बाई का 1/6 हिस्सा है। वाद पत्र की मद नं0 4 व 5 के अनुसार पक्षकार ने आपसी सहमति से भूमि का विभाजन कर रखा है तथा भूमि पर अलग—अलग काबिज है। संयुक्त खातेदारी की भूमि व आपसी विभाजन का विस्तृत वर्णन वाद पत्र में किया गया है जिससे वाद पत्र की एक प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा ग्राम बोरखण्डी की उसके हिस्से की पूरी भूमि का विक्रय कर देने तथा ग्राम बोरखण्डी में किसी भूमि पर काबिज नहीं होने पर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

0 2 AUG 2025

भी प्रतिपक्षी क्रम 1 तथा शेष प्रतिपक्षीगण भूमि के राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने मात्र से भूमि को विक्रय करना चाहते है। संयुक्त खातेदारी की भूमि का बिना विभाजन हुये ही बाहरी व्यक्ति को विक्रय करना चाहते है। जिस हेतु प्रतिपक्षीगण ने कोटा के प्रोपर्टी डीलरों से वार्ता की है जिससे प्रतिपक्षीगण को पांबद करवाना आवश्यक हो गया है। यदि प्रतिपक्षीगण को भूमि के नियमानुसार विभाजन के पूर्व विक्रय करने से नहीं रोका गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना है कि प्रतिपक्षीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिपक्षीगण स्वंय व उसके परिवार के सदस्य ग्राम दसलाना व बोरखण्डी की विवादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की भूमि के किसी भाग को नियमानुसार विभाजन के पूर्व खुर्द–बुर्द नहीं करें तथा किसी बाहरी को कब्जा नहीं संभलावें तथा भूमि के रिकार्ड व कब्जे की स्थिति यथावत कायम रखी जावें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये गये।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिपक्षी नं0 1 के विरूद्ध जारी कराने का अधिकार नहीं है, और प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज होने योग्य है, क्योकि संयुक्त खाते की भूमि में सभी सहभागीदारान का बराबर बराबर का हक व हिस्सा निहित है, और किसी भी सहभागीदार को दूसरे सहभागीदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण का कोई केस प्रथम दृष्टया नहीं है, और सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है, तथा उन्है किसी भी प्रकार की क्षति होने वाली नहीं है। जिन भूमियों के संबंध में वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है, वह भूमियां पुश्तैनी है, और पांचू उर्फ पाथू से उनके वारिसान को प्राप्त हुई थी और उनके वारिसान शिवनारायण जी भी उनके पुत्र थे और पन्ना लाल जी भी उनके पुत्र थे, हीरालाल जी भी उनके पुत्र थे, किशना जी भी उनके पुत्र थे, और जिनमें से किशना और हीरा लाल लाऔलाद फौत हुये है, इसलिये उनके प्राप्त आराजी जो बोरखण्डी व दसलाना में स्थित है, के संबंध एक वाद सम्पूर्ण आराजी बाबत पृथक से गेन्दीलाल ने सभी पक्षकारों को पक्षकार बनाते हुये प्रस्तुत कर रखा है, जो इसी न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा जो वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है, वह अपूर्ण होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने गलत रूप से अपने प्रार्थना पत्र में व वाद में कथन अंकित किया है, कि प्रति0 नं0 1 गेन्दीलाल ने अपनी भूमि का विक्रय कर दिया है, यह असत्य कथन है क्योंकि जिस भी भूमि का संयुक्त खाते में से विक्रय हुआ है, वह असत्य है। क्योंकि जिस भी भूमि का विक्रय कर संयुक्त खाते में से हुआ है, वह सभी संहभागीदारों की सहमति व हस्ताक्षर से विक्रय हुआ है जो सभी सहभागीदारों के हिस्से से निकलकर खरीदार के खाते गई है, इसलिए यह कथन गलत होने से स्वीकार नहीं है, और उक्त विक्रय सभी की ओर से किया हुआ विक्रय होने के आधार पर सभी सहभागीदारों के खाते से भूमि कम होगी और शेष रकबे में से सभी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

सहभागीदारों के साथ प्रतिपक्षी क्रम 1 भी बराबर का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है और इस संबंध में प्रति0 नं0 1 ने सम्पूर्ण आराजी के संबंध में पृथक से एक वाद सभी सहभागीदारों को पक्षकार बनाते हुये उपरोक्त अंकित शजरे अनुसार प्रस्तुत कर रखा है चूंकि पाचू लाल जी के खाते की आराजी में से प्रति0 नं0 1 जो शिवनारायण जी का 1/6 का हिस्सेदार है, को इस आराजी 112 बीघा दसलाना की व 66 बीघा बोरखण्डी की, मे से 1/2 में से 1/6 हिस्सा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत कर रखा है और चूंकि पन्ना लाल जी के हिस्सेदारों ने अपने खाते में बिना विधिक बंटवारे के भूमि अधिक दर्ज करवा रखी है, इसलिए उनके खाते से कम करते हुये श्योनारायण जी के वारिसान के हिस्से में 1/2 के हिसाब से बढ़ाते हुये सम्पूर्ण अराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार श्योनारायण जी के वारिसों को घोषित करते हुये उक्त 1/2 हिस्से में से 1/6 हिस्से को पृथक बंटवारा करवा कर अपने खाते दर्ज कराने का गेन्दी लाल अधिकारी है और उनकी मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है, इस हेतु जो वाद गेन्दीलाल ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है, उसका मुकदमा क्रमांक 95/2006 है। इसलिये पृथक से अपूर्णवाद जो प्रस्तुत किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी क्लीन हेण्ड्स से नही आया है और वाद व प्रार्थना पत्र में असत्य और निराधार कथन अंकित किये है, और काल्पनिक वाद कारण अंकित कर झूठा दावा व प्रार्थना पत्र पेश किये है, जो पूर्व में ही सम्पूर्ण आराजी के संबंध में वाद के विरूद्ध खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण का कोई केस प्रथम दृष्टया नहीं है, और सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी गण के पक्ष में न होकर प्रतिपक्षी क्रम 1 के पक्ष में है, तथा प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति होने वाली नहीं है, और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज फरमाया जावे तथा विशेष हर्जा प्रार्थीगण से प्रतिपक्षी क्रम 1 को दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र–जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई।

दौरोने बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया गया है।

बहस प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से सुने जाने के पश्चात् पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसा कोई भी ठोस दस्तावेज पेश नही किया है जिससे प्रार्थीगण के कथनों की पुष्टि की जा सके। उभयपक्षकारान के हक अधिकारों का निर्धारण तो मूल वाद के निस्तारण के पश्चात ही सम्भव होगा परन्तु इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर पर यह देखना आवश्यक है कि प्रथम दृष्टया मामला किसके पक्ष में बनना पाया जाता है जो सम्भवतया प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नही पाया जाता है।

चूंकि प्रतिपक्षीगण वादग्रस्त कृषि आराजी के रिकॉर्डड सहखातेदार व काबिज काश्तकार है। कानून रिकॉर्डड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जारी नहीं की जा सकती है और रिकॉर्डड खातेदार व काबिज काश्तकार प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने में प्रार्थीगण के मुकाबले प्रतिपक्षी को ही अधिक असुविधा होगी, जिसके कारण सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध पाया जाता है।

प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नही पाया गया है जिस कारण से प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी नही है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यहां इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में तो मात्र सुविधा के संतुलन, प्रथम दृष्टया केस एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर ही विचार किया जा रहा है जो कि प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नही पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं होने से तथा सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिनांकः 23/02/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा